एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 43/2004
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3723/2002

28.3.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
सुश्री अनीसा जैन, अधिवक्ता विपक्षीगण।

विपक्षीगण के अधिवक्ता का कथन है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.11.2003 की अनुपालना में याची के विधि स्नातक परीक्षा के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं। अत: जान-बूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का कोई आधार नहीं बनता है।

यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है। अवमानना के नोटिस डिस्चार्ज किये जाते हैं।

मोहम्मद रफीक
न्यायाधिपति